क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

सन्दर्भ सं0 Ref. No. G-113671/C-614/mp/2019

दिनांक Date 04/12/19.

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
New Delhi.

Subject:- Compliance of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi Principal Bench Order dated 06.05.2019 in the matter of O.A. No. 310/2019 Ramnarayan V/s State of U.P. & Ors.- Regarding.

Sir,

This has reference to above mentioned subject regarding compliance of Hon'ble National Green Tribunal; New Delhi Principal Bench Order dated 06.05.2019, on the subject mentioned above. Relevant part of the order dated 06.05.2019passed by Hon'ble NGT is as below -

"........ Let the State Pollution Control Board (SPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report in the matter within two months by e-mail at ngt.filing@gmail.com........"

In compliance of above order, closure order under section 31(A) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 has been issued to brick kiln by Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 31.10.2019. (Annexure-1) The committee of district administration and board has closed the brick kiln and submitted compliance reports on 03.12.2019. (Annexure-2)

The compliance report is submitted for your kind consideration please.

Encls. As Above

04.12.19
(Radhey Shyam)
Regional Officer

कार्यालय– म0सं0 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज–सोनभद्र (231216)
फोन नं0– 05444–222464
फैक्स नं0– 05444–222464
ई–मेल– rosonbhadra@uppcb.com

Office H. N. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra (231216)
Phone No. : 05444-222464
Fax No. : 05444-222464
E-mail Id : rosonbhadra@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय
REGIONAL OFFICE
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

सन्दर्भ सं0
Ref. No. G.113667/C-614/m2P/2019

दिनांक
Date 03/12/2019

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–310/2019, रामनारायण बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के सम्बन्ध में मेसर्स भोला ईंट उद्योग, ग्राम–गंगाउत, पोस्ट–मेवली, तहसील–सदर, जनपद–मिर्जापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत जारी निर्देश का अनुपालन आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 सं0–310/2019, रामनारायण बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में मेसर्स भोला ईंट उद्योग, ग्राम–गंगाउत, पोस्ट–मेवली, तहसील–सदर, जनपद–मिर्जापुर को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–एच43119/सी–2/वायु/80/निर्देश/2019, दिनांक 31.10.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत निर्देश जारी किया गया है। उक्त निर्देश के अनुपालन में ईंट भट्ठे का निरीक्षण जिला प्रशासन व राज्य बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 03.12.2019 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री रमेश चन्द्र (मुंशी) को निर्देश दिनांक 31.10.2019 की प्रति प्राप्त कराते हुए निर्देशित किया गया है कि ईंट भट्ठा में उत्पादन कार्य यथावत बन्द रखा जाये।

उपरोक्त अनुपालन आख्या की छायाप्रति आपके अवलोकनार्थ एवं सुलभ संदर्भ हेतु सादर प्रेषित की जा रही है तथा आपके निर्देशानुसार ओ0ए0 सं0–310/2019, रामनारायण बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2019 के अनुपालन में कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को ई–मेल (**judicial-ngt@gov.in**)पर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(राधेश्याम) 3/12/19
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक–उपरोक्त।
प्रतिलिपिः मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय– म0सं0 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)
राबर्ट्सगंज–सोनभद्र (231216)
फोन नं0– 05444–222464
फैक्स नं0– 05444–222464
ई–मेल– rosonbhadra@uppcb.com

Office H. N. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)
Robertsganj, Sonbhadra (231216)
Phone No. : 05444-222464
Fax No. : 05444-222464
E-mail Id : rosonbhadra@uppcb.com

<u>मेसर्स भोला ईंट उद्योग, ग्राम–गंगाउत, पोस्ट–मेवली, तहसील–सदर, जनपद–मिर्जापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 31.10.2019 द्वारा जारी निर्देश की अनुपालन आख्या।</u>

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0–एच43119/सी–2/वायु/80/निर्देश/2019, दिनांक 31.10.2019 द्वारा उक्त संदर्भित ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये हैं:–

1. यह कि मेसर्स भोला ईंट उद्योग, ग्राम–गंगाउत, पोस्ट–मेवली, तहसील–सदर, जनपद–मिर्जापुर में उत्पादन कार्य यथावत बन्द रखा जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मेसर्स भोला ईंट उद्योग, ग्राम–गंगाउत, पोस्ट–मेवली, तहसील–सदर, जनपद–मिर्जापुर को मिलने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।

उक्त संदर्भित ईंट भट्ठा मेसर्स भोला ईंट उद्योग, ग्राम–गंगाउत, पोस्ट–मेवली, तहसील–सदर, जनपद–मिर्जापुर के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 31.10.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत दिये गये निर्देश का अनुपालन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन, मिर्जापुर की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 03.12.2019 को कराया गया। राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 31.10.2019 द्वारा उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध जारी उक्त निर्देश की प्रति ईट भट्ठा प्रतिनिधि को उपलब्ध करायी गयी तथा ईट भट्ठा प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि ईट भट्ठे में उत्पादन कार्य यथावत बन्द रखा जाये। किसी भी दशा में ईट भट्ठे द्वारा उत्पादन का कार्य प्रारम्भ न किया जाये तथा राज्य बोर्ड के पत्र–एच43119/सी–2/वायु/80/निर्देश/2019, दिनांक 31.10.2019 द्वारा जारी बन्दी आदेश का कड़ायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

03/12/19
(यू०के० गुप्ता)
अवर अभियन्ता
उ०प्र०प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, सोनभद्र

03/12/19
(डॉ. एस.सी. शुक्ला)
सहा. वैज्ञानिक अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सोनभद्र

03/12/19

२५/11/15

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या 4431/ /सी–2/वायु/80/ निर्देश/2019

पंजीकृत
दिनांक 31/10/19

सेवा में,

मैसर्स भोला ईंट उद्योग,
ग्राम गंगाउत, पोस्ट मेवली, तहसील सदर,
जिला–मीरजापुर ।

यह कि मैसर्स भोला ईंट उद्योग, ग्राम गंगाउत, पोस्ट मेवली, तहसील सदर, जिला–मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा, ईंट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है ।

यह कि मैसर्स भोला ईंट उद्योग, ग्राम गंगाउत, पोस्ट मेवली, तहसील सदर, जिला–मीरजापुर को अधिनियमों के अंतर्गत बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित करने तथा सहमति प्राप्त किये बिना संचालित करने के कारण बोर्ड के पत्र दिनांक 05.07.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–(ए) के अंतर्गत कारण बताओ नोटस जारी किया गया था । बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुपालन में ईंट भट्ठा स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से दिनांक 14.10.2019 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 15.10.2019 के अनुसार ईंट उद्योग द्वारा बोर्ड के पत्र दिनांक 05.07.2019 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में प्राप्त प्रत्यावेदन में उल्लेखित तथ्य सत्य नहीं पाये गये, ईंट भट्ठे के ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर क्षतिग्रस्त पाये गये । ईंट भट्ठे पर मानिटरिंग हेतु प्लेटफार्म व सीढ़ी भी स्थापित नहीं पाई गई । निरीक्षण के दौरान ईंट भट्ठे का संचालन बंद पाया गया । क्षेत्रीय अधिकारी की आख्या दिनांक 15.10.2019 द्वारा ईंट भट्ठे का स्थल उ0प्र0 ईंट भट्ठ (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 तथा जिला पंचायत की उपविधियों के अनुरूप न होने का उल्लेख करते हुए मैसर्स भोला ईंट उद्योग, ग्राम गंगाउत, पोस्ट मेवली, तहसील सदर, जिला–मीरजापुर को वायु अधिनियमान्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 05.07.2019 की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गई है ।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में वायु प्रदूषण की रोकथाम व पर्यावरण हित मे जन स्वास्थ्य एवं जन साधारण को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके उद्योग को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाये । अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–(ए) के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. यह कि मैसर्स भोला ईंट उद्योग, ग्राम गंगाउत, पोस्ट मेवली, तहसील सदर, जिला–मीरजापुर में उत्पादन कार्य यथावत बंद रखा जाये ।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मैसर्स भोला ईंट उद्योग, ग्राम गंगाउत, पोस्ट मेवली, तहसील सदर, जिला–मीरजापुर को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ कि बोर्ड द्वारा ईंट भट्ठे को यथावत बंद रखे जाने हेतु जारी निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ कि बोर्ड द्वारा ईंट भट्ठे को यथावत बंद रखे जाने हेतु जारी निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें ।
3. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मीरजापुर ।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद– मीरजापुर ।
5. जिला खनन अधिकारी, मीरजापुर ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि ईंट भट्ठे को यथावत बंद रखे जाने हेतु जारी निर्देश की प्रति संदर्भित ईंट उद्योग स्वामी को प्राप्त कराकर, प्राप्ति तथा बोर्ड द्वारा जारी निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए ससमय आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

JE(4)
26/11/19

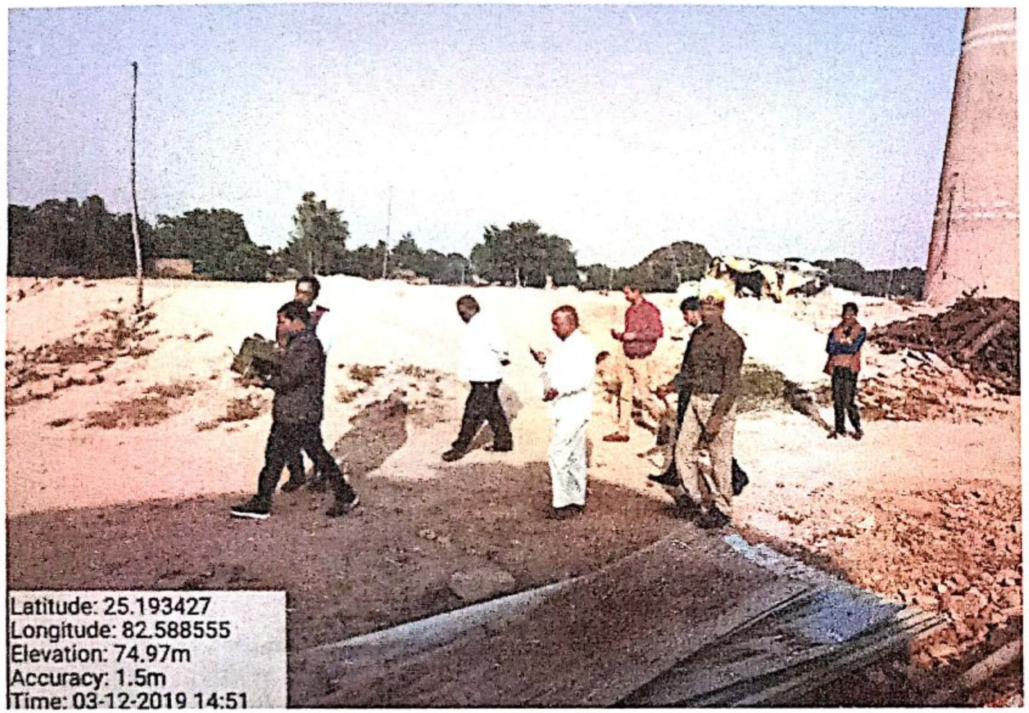
Latitude: 25.193427
Longitude: 82.588555
Elevation: 74.97m
Accuracy: 1.5m
Time: 03-12-2019 14:51

Latitude: 25.193515
Longitude: 82.588506
Elevation: 78.97m
Accuracy: 9.5m
Time: 03-12-2019 15:00

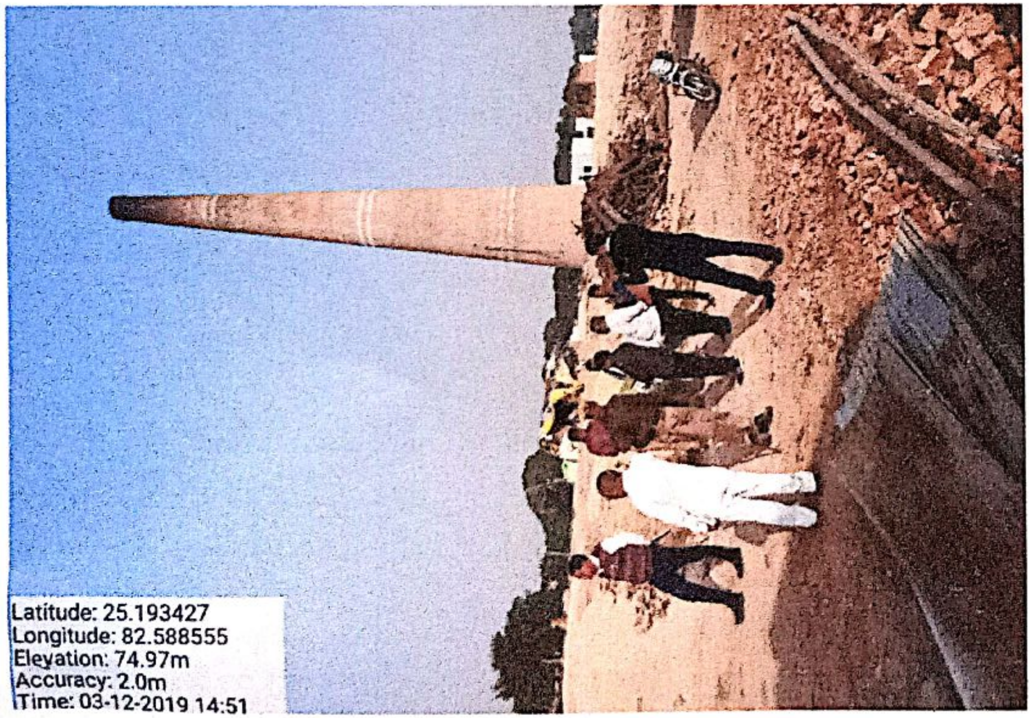
Latitude: 25.193427
Longitude: 82.588555
Elevation: 74.97m
Accuracy: 2.0m
Time: 03-12-2019 14:51

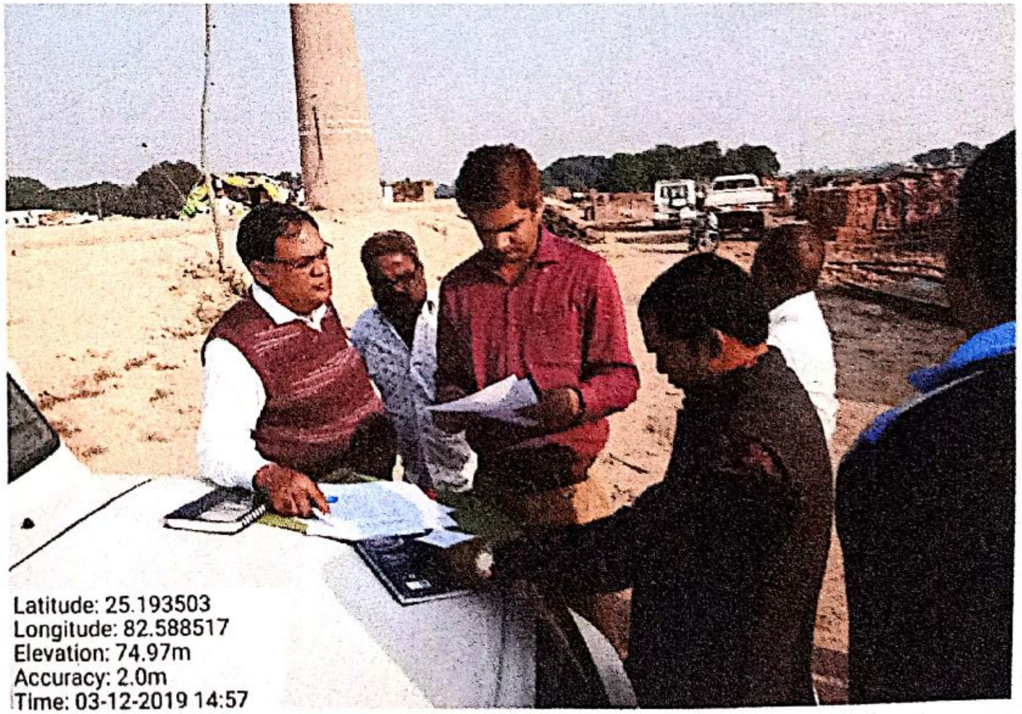
Latitude: 25.193503
Longitude: 82.588517
Elevation: 74.97m
Accuracy: 2.0m
Time: 03-12-2019 14:57